

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 61/2017 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

श्रीमती रामकन्या पत्नी कैलाशचन्द्र टांक कलाल नि. रतनपुर तह. बड़ीसादड़ी

— वादीया

॥ बनाम ॥

- 1— मु0 सुन्दरबाई पत्नी किशनदास वैरागी नि. भाणुजा हाल मुकाम उठेल तह. बड़ीसादड़ी
- 2— भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

वादीया की ओर से वकील जी.एस. झाला व प्रतिवादीया की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा रतनपुर पटवार हल्का पिण्ड की आ.नं. 54, 55, 56 कुल किता 3 कुल रकबा 2.39 हैक्ट. भूमि में वादीया का 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। 1/6 हक हिस्से पर सुन्दरबाई पत्नी किशनदास वैरागी का नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर उस जगह वादीया श्रीमती रामकन्या पत्नी कैलाशचन्द्र टांक (कलाल) के नाम पर दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित... को दी जावे।
यह आज दिनांक... 20-9-2021... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2021/159

दिनांक : 21.9.2021

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

